

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

का०आ० संख्या-01/स्था०विधि-102/2023-117/२२ /पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2024
का र्या ल य आ दे श

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 (अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023) में निहित शर्तों के आलोक में गन्ना उद्योग विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कामदारों को जनसेवक (वेतन स्तर-4) का वेतनमान सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी का प्रभार विभागीय पत्रांक-1447/सी.सी. दिनांक-05.12.2023 के द्वारा दिये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने स्तंभ -4 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित एवं स्तंभ-5 में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्रमांक	नाम / पदनाम	वर्तमान पदस्थापित कार्यालय का नाम	नव पदस्थापित कार्यालय का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रामाजीप महतो, जनसेवक	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा।	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा।	
2	श्री अशोक कुमार सिंह, जनसेवक	उप निदेशक, ईख विकास, पटना।	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना।	
3	श्री मंजर हसन खॉ, जनसेवक	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा।	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा।	
4	श्री मिथलेश ठाकुर, जनसेवक	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना।	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना।	
5	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, जनसेवक	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)।	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना।	अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा) के कार्यालय कार्य को भी संपादित करेंगे।
6	श्री अब्दुल गफ्फार, जनसेवक	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा।	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णियाँ।	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

3. पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह०/-
(गिरिवर दयाल सिंह)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या- 117/२२ -

/पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कार्यालय/सभी संबंधित कोषागार/सभी संबंधित कर्मों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/1/24
(गिरिवर दयाल सिंह)
ईखायुक्त, बिहार।